फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

हजारी अहीर बनाम राज. राज्य तहसीलदार भीलवाड़ा

धारा वाद इजाज दुरूस्ती ...... वाद / प्रा0प0 / अपील वाद प्र0सं0 70/16

18/10/16 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जरिये तलवाना विपक्षीगणों की तलबी की जायें।पत्रावली दिनांक 25/11/16 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

25.11.16

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य [illegible]स्त
अवकाश में है।पत्रावली साबिक [illegible]श
दिनांक 10.3.17 को पेश [illegible]।

आदेश से रीडर

10.3.17 वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रतिवादीगण के तलवाना सम्मन नोटिस पेश करे। पत्रावली दिनांक 28.7.17 को पेश हो।

14.7.17

पत्रावली कोर्ट कैम्प दरीबा पर पेश। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम समोड़ी कि साबिक आराजी नम्बर 604/2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा पर उक्त साबिक आराजी ~~[illegible]~~ से बंदोबस्त के दौरान गलत बदजाने से 03 बिस्वा प्रतिबिघा के रकबा कम होने से वादीगण के खाते मे 05 बीघा भूमि हाल आराजी नम्बर 457 दर्ज की गई थी।

यह है कि वादीगण के राजस्व खाते के आराजी नम्बर 604/2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा को पर काबिज काश्त ~~[illegible]~~ चले आ रहे है लेकिन बंदोबस्त के दौरान आ. नं. 604/2 के नये नम्बर 457 बना कर वादीगण

457 व साबिक आ. न. 604/2 का ही एक हिस्सा है जो नक्शे मे अलग तरमीम हो कर वादीगण की आ. न 457 के दक्षिण दिशा मे अलग दर्ज कर दिया गया जबकी उक्त भूमि भाग व कब्जे का है।

अतः मौजा समोड़ी के आ. न 604/2 को हाल नम्बर 457 मे के अभिप्राय जो नक्शे के आ.न 1195/457 दर्ज किया जो आ. न 457 वादी की आराजी का ही भाग होने से नक्शा मे दुरुस्ती करवा दिया जावे।

गैरसायल सरकार का जवाब पेश जवाब मे बताया गया की ग्राम समोडी की साबिक, आ न 604/2 रकबा 5.17 बीघा के खातेदार वृक्षकेपी नवीन बन्दोबस्त (हाल) मे उक्त आराजी के नये नम्बर 457 रकबा 5.00 बीघा बंजड दर्ज होकर वादीगण के दर्ज हुई है इस प्रकार वादीगण की भूमि मे किसी भी प्रकार की कमी-बेसी नही हुई। साबिक रकबा 5.17 के सवीन रकबा 5.00 बीघा बना है जो बराबर है। वाद खारीज किया जावे

पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व गैरसायल सरकार के जवाब पर मनन किया।

आदेश

ग्राम समोडी की साबिक आ. न. 604/2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार नवीन बंदोबस्त मे उक्त आराजी के नये नम्बर 457 रकबा 5.00 बीघा वादीगण के दर्ज है वादीगण की भूमि मे किसी प्रकार की कमी बेसी नही है। अतः वादी का वाद सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है
निर्णय आज दिनांक 14.7.2017 को सरेआम सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।